रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 16, 2012/फाल्गुन 26, 1933

No. 71] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 16, 2012/PHALGUNA 26, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2012

सं. 102(आर ई-2010)/2009-2014

विषय : कपास [आई टी सी (एच एस) कोड 5201 और 5203] के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की जाँच और पुनर्वैधता हेतु प्रक्रिया ।

फा. सं. 01/91/180/1194/एएम 10/निर्यात सैल.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार दिनांक 12-3-2012 की अधिसूचना सं. 106 (आर ई-2010)/2009-2014 के अनुसरण में कपास [आई टी सी (एचएस) कोड 5201 और 5203] के निर्यात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की जाँच और पुनर्वैधता संबंधी प्रक्रियाएँ/दिशानिर्देश अधिसूचित करते हैं ।

2. प्रक्रिया/दिशानिर्देश निम्नानुसार होंगे :

(i) जाँच और पुनर्वैधता के लिए आवेदन केवल उन्हीं पंजीकरण प्रमाणपत्रों के लिए प्रस्तुत किए जाएँगे जो 5-3-2012 को वैध थे।

(ii) आवेदन उसी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाएँगे जिससे पंजीकरण प्राप्त किए गए थे ।

(iii) प्रत्येक वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएँगे ।

(iv) आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख बृहस्पतिवार, दिनांक 22 मार्च, 2012 है ।

(v) आवेदक प्रत्येक पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसके लिए वह पुनर्वैधता का अनुरोध कर रहा है, के संबंध में :—

(क) निर्यात की तारीख, बीजक राशि, आयातक के ब्यौरे आदि के विवरण सहित उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र पर पहले ही निर्यात की जा चुकी मात्रा/पोत लदान बिलों की प्रति उपलब्ध कराई जाए ।

(ख) तारीखवार ब्यौरे के साथ उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र पर सीमा-शुल्क को सौंपी जा चुकी मात्रा, यदि कोई हो ।

(ग) सीमा-शुल्क को सौंपी जाने वाली मात्रा । कृपया उक्त मात्रा से संबंधित अलग-अलग संविदाओं की प्रतियाँ संलग्न करें ।

को विनिर्दिष्ट करेगा ।

(vi) पहले प्राप्त किए जा चुके किसी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जिसके लिए 30 दिन का समय 5 मार्च को समाप्त हो चुका है, पर किए गए निर्यातों का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए ।

(vii) जाँच विदेश व्यापार महानिदेशालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में की जाएगी ।

(viii) दस्तावेजों की जाँच के बाद, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार महानिदेशालय के अनुदेशों के अनुसरण में पंजीकरण प्रमाणपत्रों का पुनर्वैधीकरण करेंगे ।

3. ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया के द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्रों का पुनर्वैधीकरण नहीं किया जाएगा। तदनुसार, दिनांक 28-12-2011 के नीति परिपत्र सं. 51(आर ई-2010)/2009-2014 में की गई क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा पंजीकरण प्रमाणपत्रों की पुनर्वैधता की व्यवस्था वापस ले ली गई है ।

अनूप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th March, 2012

No. 102 (RE-2010)/2009-2014

Subject : Procedure for scrutiny and revalidation of Registration Certificate for export of cotton [ITC (HS) Code 5201 and 5203].

F. No. 01/91/180/1194/AM 10/Export Cell.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, as amended from time to time, Director General of Foreign Trade, in pursuance of Notification No. 106 (RE-2010)/2009-2014, dated 12-3-2012, notifies the procedure/guidelines for scrutiny and revalidation of Registration Certificate (RCs) for export of cotton [ITC (HS) Code 5201 and 5203].

2. The procedure/guidelines shall be as below :

(i) Applications for scrutiny and revalidation shall be submitted only for the RCs that were valid as on 5-3-2012.

(ii) Applications be submitted to concerned RA, where RC was obtained.

(iii) Separate application shall be made for each valid RC.

(iv) Last date for submission of application : Thursday 22nd March, 2012.

(v) The applicant would specify in respect of each RC that it seeks revalidation :

(a) the quantum that it has already exported against that RC, with details of date of export, invoice amount and details of importer. Copy of shipping bill (s) be provided.

(b) the quantum that has been handed over to the Customs against that RC, if any, with date-wise details.

(c) the quantum yet to be handed over to the Customs. Please enclose copy/copies of the respective contract(s) in respect of this quantity.

(vi) In respect of any previous RC obtained for which 30 day time has been over as on 5th March, details of exports made be submitted.

(vii) Scrutiny shall be undertaken at the headquarters office of DGFT at New Delhi.

(viii) After scrutiny of documents, respective RAs would revalidate the RCs as per DGFT's instructions.

3. RCs shall not be revalidated except as provided above. Accordingly, provision of revalidation of RCs by RAs as contained in Policy Circular No. 51(RE-2010)/2009-2014, dated 28-12-2011, stands withdrawn.

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.